तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00161) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

मोहनलाल व अन्य

बनाम

सांवलराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

आदेश

दिनांक 14 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2017 अनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1742/5 रकबा 08 बीघा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके दक्षिण दिशा में रेस्पोडेंट संख्या एक से दस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1746 आई हुई है। रेस्पोडेंट्स लगातार अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि में उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00161) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने की छूट प्रदान कर दी, जबकि अपीलांट के संयुक्त खातेदारी की भूमि पर एवं दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते ऐसा आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि में कब्जा करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जून 2019 को निरस्त किया जावे एवं आदेश दिनांक 07.11.2017 को बहाल किया जाकर आदेश दिनांक 24.06.2019 की पालना में रोपे गये खुंटे की कार्यवाही को निरस्त कया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वार आदेश दिनांक 25.03.2019 के जरिये रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि में पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया था। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि में पत्थरगढी किये जाने की विधिसम्मत छूट प्रदान की गई है। अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00161) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स की सहखातेदारी भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1742/ रकबा 08 बीघा राजस्व रेकर्ड में तरमीम होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध है। रेस्पोडेंट्स खसरा नं. 1746 के खातेदार है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1742/1 के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा की जाती है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स को अपीलाधीन आदेश के जरिये पत्थरगढी की छूट दिये जाने से वादग्रस्त आराजीयात की मौके की स्थिति में परिवर्तन होना संभावित है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00161) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जून 2019 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर